दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-9-16	वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के पत्रावली शिनाख्त के तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। उभय पक्षों को आपसी राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। आपसी राजीनामा को उन लोगों ने सही होना स्वीकार किया। आपसी राजीनामा अनुसार ही वाद पत्र स्वीकार किया जावे।
दीपचंद पुष्पेन्द्र त्रिवेदी 8.9.2016	मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा आपसी राजीनामा पर मनन किया गया। विवादित अराजियात ग्राम मौजा पटवार हलका मौजा तहसील मांडल में स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 से होती है। वादी ने विवादित अराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तादादी 2000/- रुपये के स्टाम्प पर देवी s/o बख्तावर ~~सिंह~~ से खरीद की। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में अंकित अराजियात में वादी का ही हिस्सा है एवं कारण राजस्व अभिलेख में जो इन्द्राज किया हुआ है वह गलत है एवं बाबत वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के मध्य आपसी राजीनामा हुआ। आपसी राजीनामा अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने अपनी सहमति इस बाबत प्रदान की कि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम हटाया जाता है तो इस पर प्रतिवादीगण सहमत है तथा राजस्व अभिलेख में केवल मात्र वादी के नाम ही दर्ज किया जावे। इसी अनुसार आपसी राजीनामा से ~~[illegible]~~ वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
:: आदेश :: वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा के आधार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक कायम की जाकर की जाती है कि ग्राम मेजा पटवार हलका मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं० 1079 रकबा 5 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी प्रकार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण 1 से 5 का नाम विलोपित किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करे। तदप्रकार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0) .

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–23/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री दीपचन्द पिता हमीर कीर, उम्र बालिग निवासी नया मेजा, बड़े मंदिर के पीछे, मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ––––वादी

बनाम

1–श्री शंकरलाल पिता हीरालाल अजमेरा, उम्र बालिग निवासी पुराना मेजा, सदर बाजार, मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

2–मु0 छाउ बेवा माराम कीर, उम्र बालिग निवासी नया मेजा, तहसील मांडल

3–मु0 सीता पुत्री माराम कीर, उम्र बालिग निवासी नया मेजा तहसील मांडल

4–श्री छीतर पिता गोपी कीर, उम्र बालिग निवासी नया मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मांडल तहसील कार्यालय परिसर मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) –––प्रतिवादीगण

––––

वादी की ओर से श्री प्रदीप कुमार व्यास, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री सत्यनारायण सोमाणी, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 8.9.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1079 रकबा 4 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम विलोपित किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देबी सिंह रावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 8.9.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा